

17/10/19

२७

(विश्व मोहन शर्मा)
जिला कलक्टर, अजमेर

आपको अपीलान्त उपस्थित / क्वील अपीलान्त
न प्राप्त करने वाला विद्या प्रमाण अपीलान्त
प्राप्त कर निकाल दिया है उक्त पत्र में
आपकी समझौते के आधार पर राजीनामा
हो गया है जिससे अपीलान्त के द्वारा उक्त अपील
का विद्या करने की हिदायत हो गई है किने:
उक्त प्रमाण पत्र स्वीकार कर अपीलान्त विद्या
निरस्त प्रमाण होने। स्वीकार / समझौते रूप
क्वील अपीलान्त के द्वारा कोर्ट के पर Not Press
अंशित कर हस्तासद दिया गया। अतः उपरोक्त प्रमाण
निकालने के मध्यमनगर प्राप्त विद्या प्रमाण पत्र
स्वीकार दिया जाकर अपील अपीलान्त जरिये कोर्ट
Not Press किमे जाने से निस्तारित की जाती है।
पत्रावली के सल शुमार होकर नम्बर से भेजा है।

Not Press
Shukla
17.10.19

(विश्व मोहन शर्मा)
जिला कलक्टर, अजमेर